न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 37 / 2025 (उदयपुर डिक्री)

दीपक कुमार पिता नन्दलाल माली, निवासी 4, मेन रोड़ आयड़, उदयपुर (राज.)
..... अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दलाल पिता स्व. तुलसीराम माली, निवासी 4, मेन रोड़ आयड़, उदयपुर
2. अनिल कुमार पिता नन्दलाल माली, नि04, मेन रोड़ आयड़, उदयपुर (राज.)
3. कमल पिता नन्दलाल माली, निवासी 4, मेन रोड़ आयड़, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती बसन्ती पत्नी पंकज माली पुत्री नन्दलाल माली, निवासी नई हवेली, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती मंजू पत्नी राजेन्द्र कुमार माली पुत्री नन्दलाल माली, निवासी आमलियों की बारी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव
दिनांक 10.03.2021 प्र.सं. 671 / 2019

———/———

उपस्थित :– 1– श्री रमेश नन्दवाना अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री धनसिंह झाला राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 22–04–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रघुनाथपुरा, तहसील बड़गांव में आराजी नंबर 269 से 281, 286 से 290 कुल किता 18 रकबा 2.6500 हैक्टर भूमि स्थित है, जो प्रतिवादी संख्या 1 की माता एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की दादी श्रीमती गंगादेवी पत्नी स्वर्गीय तुलसीराम जी माली द्वारा दिनांक 05–01–1959 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से क्रय की गयी थी, उस समय प्रतिवादी संख्या 1 नाबालिग था इसलिए बविलायत माता श्रीमती गंगादेवी के नाम से पंजीयन किया गया था, जिससे भूमि पैत्रृक सम्पत्ति की श्रेणी में आती है, किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादी संख्या 2 व 3 की सह

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

पर लड़ाई–झगड़ा करता है व भूमि खुर्द बुर्द करने की धमकी देते हें। अतः विवादित आराजियात में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10–03–2021 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी ने इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 03–08–2021 को प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश नन्दवाना उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थी को बिना सूचना दिये तथा बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये वाद निरस्त कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 28–06–2021 को हुई एवं नकल दिनांक 30–07–2021 को प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि पैत्रृक भूमि है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पैत्रृक नहीं मानकर नन्दलाल की स्वअर्जित मानते हुए वादी का वाद खारिज करने में भूल की है, क्योंकि जब भूमि क्रय की गयी तब नन्दलाल की उम्र 14 वर्ष थी, जिसकी कमाई का कोई जरिया नहीं था। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से वादी के वाद का खण्डन नहीं हुआ है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि को नन्दलाल की स्वअर्जित मानकर वाद खारिज कर दिया जो त्रुटि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05–01–1959 में यह अंकित किया हुआ है कि नन्दलाल पिता तुलसीराम माली नाबालिग बविलायत माता गंगाबाई, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि क्रय करते समय नन्दलाल नाबालिग होकर उसकी कमाई का कोई जरिया नहीं था तथा भूमि गंगाबाई द्वारा क्रय की गयी थी। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी है। अतः उनका पक्ष नहीं रखा जा सका। धारा 88 के तहत घोषणा के दावे में भूमि पर हक अधिकारों का निर्णय होता है, जो साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण के आधार पर ही होना चाहिए। भूमि मौरूसी है अथवा स्वअर्जित इस बिन्दु का निस्तारण दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

9. अतः अपीलान्ट अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 10–03–2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात का विधिवत परीक्षण कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16–06–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 22–04–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested